राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2337/2016

विजय सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग सह अतिरिक्त सचिव, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.08.2016
आदेश की दिनांक : 15.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी को ग्रेड पे स्टेपिंग अप का लाभ देने की अनुमति दिलायी जावे तथा अपीलार्थी का वेतन उससे कनिष्ठ कर्मचारियों के बराबर निर्धारित किया जावे, जो अपीलार्थी की तुलना में उच्च ग्रेड पे प्राप्त कर रहे है, साथ ही संशोधित वेतन निर्धारण एवं सभी परिणामी लाभ ब्याज सहित दिलाये जावे।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ अभियंता के पद पर दिनांक 21.10.1987 को हुई थी तथा अपीलार्थी ने दिनांक 03.11.1987 को जेईएन के पद पर अपना कार्यभार ग्रहण किया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 26.03.2008 को एक वरिष्ठता सूची भी जारी की गई थी और उसके बाद नियमों के प्रावधानों के तहत अपीलार्थी को आदेश दिनांक 17.06.2008 द्वारा सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। अपीलार्थी की पदोन्नति के पश्चात उसे 5400/– ग्रेड पे में स्थायीकरण किया गया, परंतु अपीलार्थी को 3 प्रतिशत वेतन का लाभ नहीं दिया गया। अपीलार्थी का कथन है कि महेंद्र सिंह सिनसिनवार तथा महेश चंद्र शर्मा नाम के व्यक्तियों को दिनांक 17.06. 2008 के आदेश के अनुसार उसी सूची में पदोन्नत किया गया था, परंतु वे जेईएन संवर्ग में अपीलार्थी से कनिष्ठ थे, अतः उनके नाम अपीलार्थी से नीचे रखे गए तथा एईएन के कैडर में पदोन्नति के बाद दिनांक 01.04.2016 को एक वरिष्ठता सूची जारी की गई थी जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 374 पर था और कनिष्ठ व्यक्तियों का नाम क्रम संख्या 629 और 752 पर था। अपीलार्थी

की प्रथम नियुिक्ति वर्ष 1987 की है और दिनांक 25.01.1992 के परिपत्र के अनुसार उसे 9 और 18 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया था और जहां तक कनिष्ठों से संबंध है, वे वर्ष 1990 में नियुक्त कर्मचारी थे और उन्होंने वर्ष 2008 में 18 वर्ष की सेवा पूरी की, लेकिन वर्ष 2008 में उन्हें पहले ही एईएन के पद पर पदोन्नत कर दिया गया था और इसके पश्चात उन्हें द्वितीय एसीपी का लाभ दिया, जो 20 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर देय था तथा उन्हें 6000/– ग्रेड पे पर स्थायी किया गया जबकि अपीलार्थी को 5400/– ग्रेड पे पर स्थायी किया गया, जिसके कारण आरएसआर के प्रावधानों का उल्लघंन हुआ है। अपीलार्थी जेईएन के पद के साथ–साथ एईएन के कैडर में बहुत वरिष्ठ है। अपीलार्थी ने संबंधित अधिकारियों को दिनांक 05.05.2016 को सभी तथ्यों को बताते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने इसका कोई निस्तारण नहीं किया। राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार जहां एक सवंर्ग का सवंर्ग नियंत्रण प्राधिकारी एक ही है तथा वरिष्ठ कर्मचारी अपने कनिष्ठ कर्मचारी से कम ग्रेड पे प्राप्त कर रहा है तो ऐसे वरिष्ठ कर्मचारी को समान ग्रेड पे दिया जाएगा। वर्तमान मामले में अपीलार्थी की तुलना में कई कनिष्ठ कर्मचारियों को ग्रेड पे स्टेपिंग अप का लाभ दिया गया जबकि अपीलार्थी को नहीं दिया गया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को ग्रेड पे स्टेपिंग अप के लाभ देने की अनुमति दिलायी जावे तथा अपीलार्थी का वेतन उन कनिष्ठ कर्मचारियों के बराबर निर्धारित किया जावे, जो अपीलार्थी की तुलना में उच्च ग्रेड पे प्राप्त कर रहे है, साथ ही संशोधित वेतन निर्धारण एवं सभी परिणामी लाभों के साथ ब्याज सहित दिलाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग राज. जयपुर के आदेश क्रमांक एफ44 (13) 87/अनु.ा/सी/डी/15949 दिनांक 21.10.1987 की अनुपालना में अपीलार्थी श्री विजय सिंह ने दिनांक 03.11.1987 को कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त–सवाई माधोपुर में उपस्थिति दी। उप शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर के आदेश क्रमांक प.1 (7) सानिवि/2008 दिनांक 17.06.2008 द्वारा राजस्थान अभियांत्रिकी सेवायें (भवन/पथ शाखायें) नियम 1954 के नियम 94 के तहत सहायक अभियंता सिविल, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मद वर्ष 2008–2009 के लिए विभागीय पदोन्नति की समिति की बैठक दिनांक 10.06.2008 को सम्पन्न हुई, की अभिशंषा अनुसार अपीलार्थी श्री विजय सिंह, कनिष्ठ अभियंता को वर्ष 2008–2009 में सहायक अभियंता के पद पर वरिष्ठता सहयोगिता के आधार पर पदोन्नत किये जाने पर मुख्य अभियंता के

आदेश क्रमांक अनु–ा/ए/2008/166 दिनांक 18.06.2008 द्वारा अधिकारी को सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड–डीग के पद पर पदस्थापित किया गया। जहां अधिकारी ने दिनांक 30.06.2008 को कार्यग्रहण किया। मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर के आदेश क्रमांक अनु–ा/ए/2015/33 दिनांक 08.06.2015 के द्वारा सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर दिनांक 30.06.2008 से पे बैण्ड पीबी–3 + ग्रेड पे नंबर 15 15600–39100 + 5400 में वेतन रूपये 18680 + 5400 कुल वेतन 24,060/– रूपये प्रतिमाह पर निर्धारित किया गया। अपीलार्थी को पुनरीक्षित वेतनमान नियम–2008 में कार्मिक का वेतन निर्धारण के समय ग्रेड पे. 5400 पर फिक्स किया गया था, लेकिन 3 प्रतिशत लाभ नहीं दिया गया, चूंकि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.20 (1) वित्त/ग्रुप–2/92 दिनांक 25.01.1992 एव दिनांक 22.11.1993 के अनुसरण में मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग राज. जयपुर के आदेश क्रमांक प.8 (252) मु.अ./डी–246 दिनांक 07.05.1997 की अनुपालना में उक्त अभियंता को 9 वर्ष की सेवा लगातार एवं संतोषजनक होने पर वेतन श्रंखला 2000–60–2300–150–3200 में 2375 पर निर्धारित की गई एवं अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त–भरतपुर के पत्रांक 7194 दिनांक 28.07.1998 एवं 9 वर्ष के चयनित वेतन का पुनः संशोधित कर पुनरीक्षित वेतनमान नियम–2008 के तहत कार्मिक को वेतन श्रंखला 6500–200–10500 में 7300/– रूपये प्रतिमाह दिनांक 03.11.1996 से स्वीकृत किया गया। मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर के आदेश क्रमांक मु.अ./अनु–ाा/प.15/क.अ./चे.वे./डी–563 दिनांक 28.07.2006 के द्वारा 18 वर्ष की लगातार सेवा संतोषजनक होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 31.11.2005 से वेतन श्रंखला 8000–13500 में 9375/– रूपये वेतन निर्धारण करते हुए स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी को कनिष्ठ अभियंता के पद पर रहते हुए द्वितीय आश्वासित केरियर (द्वितीय एसीपी) 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 5400 ग्रेड पे. स्वीकृत की गई जो अराजपत्रित पद होने के कारण सही है। श्री महेन्द्र सिंह सिनसिनवार व श्री महेशचंद शर्मा की पदोन्नति सहायक अभियंता के पद पर होने के फलस्वरूप इन्हें 18 वर्ष की बजाय राजपत्रित पद धारित करने के कारण नियमानुसार 10, 20, एवं 30 वर्ष की सेवाओं पर एसीपी का लाभ देय होती है, जो द्वितीय आश्वासित केरियर (द्वितीय एसीपी) 20 वर्ष पूर्ण करने के बाद ग्रेड पे 6000/– रूपये नियमानुसार दय है जो स्वीकृत की गई है। अतः स्पष्ट किया जाता है कि अधीनस्थ सेवा एवं राजपत्रित सेवाओं में रहते हुए एसीपी एवं चयनित वेतनमान में पे अप स्टेपिंग (वेतन उन्नीयन) का प्रकरण भी नहीं बनता। उक्त प्रकरण में समान

कैडर होने पर ही अपस्टेपिंग (वेतन उन्नीयन) का लाभ देय होता है। अपीलार्थी अभ्यावेदन के आधार पर नियम विरूद्ध लाभ पाने का अधिकारी नहीं है। अपीलार्थी ने अभ्यावेदन दिनांक 05.05.2016 को प्रस्तुत कर स्वयं ने बाताया कि उनके कनिष्ठ कार्मिकों को 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय आश्वासित केरियर (द्वितीय एसीपी) में ग्रेड पे. 6000 रूपये स्वीकृत की गई है जो नियमानुसार सही है। अतः अपील खारिज फरमायी जाने योग्य है।

हमने के विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी अपने से कनिष्ठ कर्मचारियों से कम वेतन प्राप्त कर रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि अपीलार्थी के कनिष्ठ अभियंता के पद पर रहते हुए प्रथम और द्वितीय चयनित वेतनमान 9 और 18 वर्ष की सेवा पर प्रदान किए गए जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक महेन्द्र सिंह सिनसिनवार और महेश चंद शर्मा को द्वितीय चयनित वेतनमान स्वीकृति से पहले सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया। पदोन्नति होने के कारण उन्हें 20 वर्ष की सेवाओं पर ग्रेड पे 6000 में वेतन नियतन किया गया जिस कारण कनिष्ठ कर्मचारियों का वेतन अपीलार्थी से ज्यादा हो गया। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में हम प्रकरण पर प्रत्यर्थी विभाग को पुनः परीक्षण हेतु रिमांड किया जाना उचित समझते है। **The Rajasthan civil services (Service Matters Appellate Tribunals) ACT, 1976** की धारा 4(2) के तहत प्रकरण प्रत्यर्थी विभाग को रिमांड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रकरण का समुचित किया जाकर निर्णय से 3 माह की अवधि में अपीलार्थी को सुना जाकर निस्तारण किया जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)